उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–13/2022–23

शिवशंकर प्रसाद सिंह एवं अन्य

बनाम्

ज्योतिष यादव एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 6/1/24

दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शिवशंकर प्र0 सिंह, पे0–स्व0 तारनी प्र0 सिंह वो उत्तम सिंह उर्फ मंगल सिंह, पे0–स्व0 जमुना सिंह, सा0–गोसीचक, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केस नं0–213/2016–17 के आदेश दिनांक–09.03.2021 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गोसीचक नं0–369, जमाबंदी सं0–02, रकवा 22–12–14 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अकलू राय, पे0–भीकन राय वो गिरधारी राय, पे0–जालीम राय के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत गिरधारी राय नावल्द फौत कर गये है। इसलिए वंशानुगत आधार पर जमाबंदी सं0–02 की जमीन जमाबंदी रैयत अकलू राय को प्राप्त हुआ एवं अकलू राय उक्त जमाबंदी की सम्पूर्ण जमीन का जोत आबाद करने लगे एवं सरकार को मालगुजारी का भुगतान करते थे। जमाबंदी रैयत अकलू राय अपने पीछे एक पुत्र गया सिंह को छोड़कर फौत कर गये। गया सिंह को पाँच पुत्र क्रमशः तारणी सिंह, यमुना सिंह, हरि सिंह, राखा सिंह एवं अर्जुन सिंह हुए। तारणी सिंह अपने पीछे तीन पुत्र क्रमशः शिवशंकर सिंह, महेश उर्फ मंगल प्र0 सिंह एवं चन्द्रशेखर सिंह को छोड़कर फौत कर गये। इनमें से शिवशंकर सिंह एवं उत्तम उर्फ मंगल सिंह अपीलकर्त्ता है। उनका आगे कथन है कि अपील वादगत जमीन अपीलकर्त्ता की पैतृक जमीन है एवं उन्होंने कभी भी उक्त जमीन उत्तरवादी को हस्तान्तरित नहीं किया है। उत्तरवादी ने वर्ष 2015 में अपीलकर्त्ता की उक्त जमाबंदी की जमीन का जोत आबाद कर दिया था एवं विरोध करने पर अपीलकर्त्ता के साथ मारपीट कर दिया था। इसके लिए अपीलकर्त्ता ने बलबड्डा थाना में बलबड्डा थाना काण्ड सं0–197/15 दिनांक–20.05.15

आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। इसके बाद अपीलकर्त्ता ने ग्राम स्तर पर भी उक्त जमीन को खाली करने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन उत्तरवादी ने उक्त जमीन को खाली नहीं किया। इसलिए अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केस नं0–213/15–16 दायर किया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपील वादगत जमीन पर गलत तरीके से उत्तरवादी का प्रतिकूल कब्जा दिखाया गया है। जबकि अपील वादगत रैयती जमीन है एवं उत्तरवादी ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत जबरन कब्जा किया है। साथ ही अपील वादगत जमीन पर कोई भी मकान बना हुआ नहीं है और न ही उस जमीन पर उत्तरवादी निवास करता है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–गोसीचक नं0–369, जमाबंदी सं0–02, दाग नं0–04 रकवा 04–15–02 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अकलू राय, पे0–भीखारी राय एवं अन्य के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन पर उत्तरवादी ने अपना मकान बना लिया है एवं उत्तरवादी उसपर सपरिवार निवास कर रहे हैं तथा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने संतुष्ट होकर आदेश पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत है। साथ ही अपीलकर्त्ता ने बिलम्ब से अपील वाद दायर किया है एवं आवेदन में बिलम्ब का प्रर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है। इसलिए भी अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का आदेश स्पष्ट नहीं है। इसलिए अभिलेख पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गोसीचक नं0–369, जमाबंदी सं0–02 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में अकलू राय वल्द भीखन राय वो गिरधारी राय वल्द जालीम राय के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी ने जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–04 रकवा 00–11–00 धुर जमीन दान पत्र से प्राप्त करने का दावा

किया गया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उक्त भू–भाग पर बने हुए मकान एवं आवागमन हेतु रास्ता की जमीन को छोड़कर शेष जमीन से उत्तरवादी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है। जबकि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार उक्त दाग नं0–04 की जमीन रैयती जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत उक्त जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केस नं0–213/15–16 के आदेश दिनांक–09.03.2021 को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को रिमाण्ड किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2024.03.14 14:24:40 +05:30
Location: 192.168.1.55